


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक -20.02.2026

संख्या-21/आयोग-03/2017,सा.प्र.-3699/भारत के संविधान के अनुच्छेद-318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा-शर्तों) विनियमावली, 1960 के विनियम-15 के बाद निम्नलिखित नया विनियम-15 क तुरत के प्रभाव से अन्तः स्थापित करते हैं :-

"15 क- आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के पद से सेवानिवृत्त होने अथवा अन्यथा कारणों से पद पर न रह जाने के उपरांत कम-से-कम 02 वर्षों की अवधि तक वह निजी/व्यावसायिक कोचिंग संस्थानों अथवा किसी भी निजी/व्यावसायिक शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थान से किसी प्रकार से संबद्ध नहीं होगा, जो आयोग के परीक्षाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हों।"


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(मनोज कुमार झा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-21/आयोग-03/2017,सा.प्र. 3699/पटना-15, दिनांक-20.02.2026

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, ई-गजट शाखा/महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना/सचिव, केन्द्रीय सिपाही चयन पर्सद, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।